न्यायालय : जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर

नियमित जमानत आवेदन संख्या 847/2026

28.04.2026

आवेदक **सूरज पंडित उर्फ सूरज कुमार** की ओर से नियमित जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदक दिनांक 12.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। आवेदक को **जमालपुर थाना काण्ड संख्या 54/2026 अन्तर्गत धारा 126 (2), 115 (2), 109, 303 (2), 352, 351 (2), 351 (3), 3 (5) बी0 एन0 एस0** के अधीन गिरफ्तार किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार मिश्रा एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

प्राथमिकी के अनुसार सूचिका स्वीटी मंडल दिनांक 11.03.2026 को संध्या 18:15 पी0 एम0 बजे मैं एवं मेरा दोस्त सूरज मंडल के साथ लकड़ी गोला रोड के पास से बाजार करने जा रहा था। तभी अचानक सूरज पंडित, सागर पंडित, फुलो देवी तीनों एवं तीन–चार अज्ञात लोग अपने अपने हाथ में लाठी, डंडा एवं लोहा का रड तथा कट्टा लेकर आया एवं हम दानों को घेर कर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा सूरज पंडित ने अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने के नियत से मेरे सर पर मारा जिससे मेरा सर फट गया। सभी लोग मिलकर जान मारने की नियत से मुझे एवं मेरे दोस्त सूरज मंडल को मारने लगे जिससे सूरज मंडल का भी सर फट गया एवं हम दोनों बुरी तरह से जख्मी होकर लहुलुहान हो गए। उन लोगों ने मेरे गले से साने का का हनुमान जी का लोकेट भी छिन लिया हल्ला–गुल्ला होने पर अस्थानीय लोग माजमा होने लगे तो वह सभी हम दानों को जान मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह कि, सूचिका का संक्षिप्त कथन है कि– घटना की तिथी एवं समय को सूचिका और सूचिका का दोस्त गोला रोड के पास से बाजार करने जा रहा था तभी प्रार्थी आवेदक सहित अन्य अभियुक्तो ने लाठी डंडा लोहे के रड लेकर सूचिका को गाली गलौज और मार पीट करने लगे। सूरज पंडित ने अपने हाथ में लिए लोहे के रड से जान मारने के नियत से सूचिका के सिर पर मारा जिससे सूचिका का सिर फट गया अन्य अभियुक्तों ने सूचिका के दोस्त को मारा जिससे सूचिका के दोस्त का सिर फट गया। अभिुक्तों ने सूचिका के गले से सोने के हनूमान जी का लोकेट भी छीन लिया। यह कि, इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त प्रार्थी अभियुक्त की ओर से श्रीमान् के न्यायालय में या उच्च न्यायालय पटना में कोई जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। यह कि, प्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध एक मुकदमा है जो सूचिका के संबंधियों के द्वारा ही किया गया है जिसकी संख्या जमालपुर थाना काण्ड संख्या 01/26 अन्तर्गत धारा 126 (2), 115 (2), 75, 79, 352, 351 (5) 3 (5) भा0 न्या0 स0 है इसके अतिरिक्त प्रार्थी अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह कि, प्रार्थी निम्नांकित आधारों पर यह जमानत आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। यह कि, प्रार्थी

28.04.26

लगातार

28.04.2026

अभियुक्त निर्दोष है और कानून को मानने वाला नागरिक है। यह कि, प्रार्थी अभियुक्त दिनांक 12.03.2025 से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लाए जाने के उपरांत से ही प्रार्थी काराधीन है। यह कि, प्रार्थी अभियुक्त पर आरोपित धाराओं में से धारा 109 एवं 303 (2) भा0 न्या0 स0 के अतिरिक्त अन्य धाराएँ जमानतीय प्रकृति के हैं। यह कि, प्रस्तुत वाद का पलटा वाद जमालपुर थाना काण्ड संख्या 55 / 26 दर्ज किया गया है। जिसकी सूचिका प्रार्थी की माता है। यह कि, इस काण्ड के एक अन्य सः अभियुक्त को निम्न न्यायालय के द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। यह कि, प्रार्थी अभियुक्त स्थानीय है जिसके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। यह कि, प्रार्थी अभियुक्त प्रतिज्ञाबद्ध है कि वह जमानत की सुविधा का कभी भी दुरूपयोग नहीं करेगा और काण्ड के अनुसंधान एवं विचारण में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा और न्यायालय के सभी आदेशों एवं शर्तों का पालन करेगा। यह कि, प्रार्थी अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत की सुविधा प्राप्त होने पर संतोषजनक प्रतिभू के साथ बंधपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम एवं तत्पर हैं। यह कि, उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में प्रार्थी अभियुक्त को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान किएजाने की प्रार्थना की जाती है। अतएव श्रीमान् से प्रार्थी अभियुक्त की विनीत प्रार्थना है कि प्रार्थी अभियुक्त को नियमित जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन पदाधिकारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभयपक्षों को सुना। अभिलेख तथा काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त दिनांक 12.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में हैं तथा एक अभियुक्त फुलो देवी को न्यायालय श्रीमती अनामिका कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर के द्वारा जमानत का लाभ दिया जा चुका है। प्रस्तुत केस में काउंटर केस भी जमालपुर थाना काण्ड संख्या 55 / 2026 अभियुक्तगण के द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें बचावपक्ष के द्वारा उपलब्ध कराया गया। जमानत आवेदन की प्रमाणित प्रति से स्पष्ट है कि प्रस्तुत जमानत आवेदन में जमालपुर थाना काण्ड संख्या 54 / 2024 में सूचिका स्वीटी मंडल है और जमानत थाना काण्ड संख्या 55 / 2026 में वो अभियुक्त है और आदेश फलक दिनांक 16.03.2026 को स्वीटी मंडल, सूरज कुमार उर्फ सरज मंडल, गोलू यादव, टींकू कुमार के द्वारा आत्म–समर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें उनको जमानत की सुविधा न्यायालय श्रीमती अनामिका कुमारी, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, मुंगेर के न्यायालय द्वारा दिया जा चुका है और अभिलेख पर उपलब्ध अनुसंधानक के प्रतिवेदन दिनांक 07.04.2026 से स्पष्ट है कि स्वीटी मंडल एवं सूरज

लगातार

28.04.2026

मंडल जख्म का जख्म जॉच प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। क्योंकि, दोनों जख्मी के द्वारा कराया गया पुलिस से संबंधित कागजात की मॉग अनुसंधानकर्ता द्वारा करने के बावजूद किसी के द्वारा ईलाज का कागज देने से इंकार कर दिया गया। उपरोक्त सारी तथ्यों एवं परिस्थितियों और न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए अवधि से स्पष्ट है कि न्यायालय अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना न्यायोचित समझती है।

अतः, अभियुक्त को 10,000 / – रूपये के 02 प्रतिभूओं सहित बंधपत्र दाखिल करने पर निम्न शर्तों के साथ जमानत की सुविधा प्रदान किया जाता है। है।

(1) एक जमानतदार निकट संबंधी होंगे।

(2) अभियुक्त धारा 480 (3) बी0 एन0 एस0 एस0 शर्तों के अनुसार अंडरटेकिंग दाखिल करेंगे।

(3) प्रत्येक तिथि को हाजिरी एवं पैरवी दाखिल करेंगे और यदि लगातार 02 तिथियों तक हाजिरी एवं पैरवी दाखिल नहीं किया जाता है, तो अभियोजन बंधपत्र खंडित करने हेतु प्रार्थना कर सकते हैं।

कार्यालय आदेश की प्रति अविलंब संबंधित न्यायालय में भेजे।

लेखापित

(विकास मिश्र)
जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय
व्यवहार न्यायालय, मुंगेर
28.04.2026